29/10/21 पत्रावली आज प्रकाशन गांवों के लोक अभियान लेकर कोई आवेदक अ.भि. के पेश हुये प्रार्थी स्वयं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है तथा अप्रार्थीगण अनुपस्थित है उपस्थित को सुना गया/ प्रार्थी पक्ष के प्रा. पत्र एवं कुल पत्रावली का अवलोकन किया गया/ निर्णय का अवलोकन प्रकरण के पत्रावली हस्तगत से चैट स्पष्ट का अवलोकन होता है कि आवे/प्रार्थी के द्वारा बाउ पत्र के पट्ट कार्य आदि जारी दिनांक 16/12/2014 को आवेदन प्रस्तुत किया था/ निरस्त आदेश पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 29/4/2016 को एकपक्षीय कार्यवाही निर्णय पारित गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फिर्द अहकाम

...[illegible] बनाम मन्जरी देवी व अन्य

...म न्यायालय

...स संख्या 44/2020 प्रा. पत्र 09R13

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रकार सोयोपित किया जा चुका है इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय दिनांक 21/4/2016 को बिना किसी कारण उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अभाव के जारी रहे है एकपक्षीय कार्यवाही से पूर्व दिनांक 10/8/2016 जारी करिये नोटिस जारी [illegible] प्रकाशन किया गया। जिसके बाद एक पक्षीय कार्यवाही अभाव के जारी रहे है एक पक्षीय कार्यवाही जारी पाने के पश्चात अभाव के जारी [illegible] तारीख पेशियों सुनवाई हेतु 22 तारीख पेशियों नियत किये जाने के बावजूद भी प्रकरण के प्रार्थी जानबूझकर उपस्थित नहीं आया व जिस पर दिनांक 4/6/2018 विधि अनुसार प्रकरण किया है इसके को प्रा. डिक्री [illegible] के करेगा पुनः प्रकरण दिनांक 30/01/2019 एवं रिपोर्ट दिनांक [illegible] मौके दिनांक 22/3/2019 [illegible] तैयार पर [illegible] किये गये [illegible] के साथ मौके पर भी [illegible] मौके पर भी [illegible] 3/1930 [illegible] 3/4 [illegible] के उठाये गये	

उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

२ यारसीडीबनाम नन्नडी देवी वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या ५४/२०२० प्रा.पत्र 09 R 13 सपीठित

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		रिपोर्ट तामील कोई हलफ कबूल लेकर कोई आपत्ति प्रस्तुत करते समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है ... दिनांक 12/2/2020 को सुनवाई के बाद डिक्री के अन्तिम कर के 10 माह पश्चात किये पत्र प्रा. पत्र प्रस्तुत किया इस बार प्रार्थी की ओर गया है इसके प्रार्थी की ओर से अपनी अनुपस्थिति बाबत कोई पुख्ता - पुख्ता प्रयोग, मांग कोई उल्लेखित नहीं योग्य कारण उल्लेखित किये हैं प्रार्थी को दिनांक 29/4/2016 एक पक्षीय कार्यवाही होने के पश्चात प्रकरण उप रहे 10 माह तक विचाराधीन रहा तथा प्रार्थी की अनुपस्थिति विचारण के विभिन्न स्तरों पर रही है लेकर के प्रार्थी पर ... रही है ... स्वाभाविक नहीं का प्रा. पत्र विचारणार्थ प्रा.पत्र होने उचित विचारणार्थ प्रा.पत्र 09 R 13 CPC सपठित धारा 151 CPC का अस्वीकार किया जाता है बाकर ... होकर पत्रावली ... है ... उप ... दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner